(2008) 1 एस सी आर 781

कुंजु उर्फ बालाचंद्रन

बनाम

तमिलनाडु राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 112/2008)

16 जनवरी, 2008

(डाॅ॰ अरिजीत पसायत और आफताब आलम, जे. जे.)

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134- एकमात्र गवाह की गवाही दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए साक्ष्य का मूल्य माना गया है। दोषसिद्धि एकल गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है, बशर्ते वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो- यह मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो प्रासंगिक है- साक्ष्य को तौला जाना चाहिए न कि गिना जाता है- परीक्षण यह है कि क्या सबूत ठोस और भरोसेमंद है- तथ्यों के आधार पर, एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर मुझे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है- दण्ड संहिता 1860- धारा 302, 341।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्ल्यू-5 की शादी आरोपी के साथ तय हुई थी। घटना की तारीख से 2 दिन पहले मृतक पीडब्ल्यू-5 से मिला और उसे फूल चढ़ाए। पीडब्ल्यू-5 ने फूल लेने से इन्कार कर दिया और उसे बताया कि उसकी शादी आरोपी के साथ तय हो गई है। इस घटना की जानकारी आरोपियों को हो गई है। घटना के दिन, मृतक अपने दो दोस्तों पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2 के साथ नहर पर स्नान करने गया था, जहां आरोपी आए और मृतक के साथ मारपीट की और उसके शरीर पर कई घाव कर दिए। मृतक गिर गया लेकिन आरोपी उसके पूरे शरीर पर चोटें पहुंचाता रहा।

पीडब्ल्यू-2 ने मृतक के भाई को घटना के बारे में सूचित किया जो मौके पर आया और मृतक को अस्पताल ले गया। अस्पताल में पीडब्ल्यू-7, इंस्पेक्टर ने पीडब्ल्यू-1 का बयान दर्ज किया। मामला धारा 341, 307 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। बाद में मृतक की मृत्यु हो गई और मामले को धारा 341 और 302 आईपीसी के तहत एक में बदल दिया गया। ट्रायल कोर्ट, पीडब्ल्यू-1 के समक्ष, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक अपने बयान से मुकर गए जो जांच दौरान दर्ज किया गया था। पीडब्ल्यू-2 की साक्ष्य पर भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 341 के तहत दोषसिद्धि दर्ज की है। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

इस अदालत में अपीलकर्ता ने अपील में तर्क दिया कि एकमात्र चश्मदीद गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि गलत तरीके से दर्ज की गई थी। उदाहरण के लिए पीडब्ल्यू-2।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

एक सामान्य नियम के रूप में एकल गवाह की गवाही पर अदालत कार्यवाही कर सकती है, बशर्ते वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो। किसी एक गवाह की गवाही पर किसी को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। लेकिन अगर गवाही पर संदेह हो तो अदालतें पुष्टि पर जोरी देगी। यह संख्या, मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता जो भौतिक है। समय सम्मानित सिद्धांत यह है कि सबूतों को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। इस सिद्धांत पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 की इमारत खड़ी है। परीक्षण यह है कि सबूत में सच्चाई है या नहीं, यह ठोस, विश्वसनीय और भरोसमंद है या अन्यथा। तथ्यात्मक परिदृश्य के विश्लेषण और कानून के सिद्धांतों को लागू करने पर अपील निराधार है। (पैरा 9 और 11)(786-डी-एफ, जी)

वडिवेलु थेवर बनाम, मद्रास राज्य एआईआर 1957 एससी 614, जगदीश प्रसाद वि. मप्र राज्य एआईआर 1994 एससी 1251, सुनील एफ कुमार बनाम, राज्य सरकार दिल्ली के एनसीटी (2003) 11 एससीसी 367- पर भरोसा।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 112/2008

मद्रास उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.06.2005 से, जो कि 2003 की आपराधिक अपील संख्या 28 में पारित किया।

अपीलकर्ता की ओर से शशि भूषण कुमार, वी. कनकराज, एस जोसेफ अरस्तू, एस प्रभू।

प्रतिवादी की ओर से एच रामासुब्रमण्यम और वीजी प्रगासम।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डाॅ. अरिजीत पसायत जे

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसे भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और डिफाॅल्ट शर्त के साथ आजीवन कारावास और 200/-रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। 2002 के सत्र प्रकरण नंबर 59 दिनांकित

03.09.2002 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोबीचेट्टी पलायम द्वारा दोषसिद्धि दर्ज की गई और सजा सुनाई गई।

3. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार है-आरोपी कुंजू उर्फ बालचंद्रन भवानीसागर स्थित सीलोन शरणार्थी शिविर का निवासी है। सुधाकरण (बाद में मृतक के रूप में संदर्भित) भी उसी शरणार्थी शिविर में रहता था। घटना की तारीख से पहले, आरोपी के माता-पिता ने सेल्वी (पीडब्ल्यू-5) के साथ उसकी शादी कराने की व्यवस्था की। सगाई की रस्म भी खत्म हो चुकी थी, मृतक को सेल्वी (पीडब्ल्यू-5) से प्यार हो गया। घटना की तारीख से दो दिन पहले, मृतक पीडब्ल्यू-5 से मिला और उसे फूल चढाए। पीडब्ल्यू-5 ने फूल लेने से इंकार कर दिया और उसे बताया कि उसकी सगाई पहले ही आरोपी के साथ हो चुकी है। इस घटना की जानकारी आरोपियों को हो गई।

घटना की तारीख यानी 28.02.2001 को शाम लगभग 6ः50 बजे, मृतक अपने दो अन्य दोस्तों स्टीफन (पीडब्ल्यू-1) और शिवा (पीडब्ल्यू-2) के साथ एआरएस नहर में स्नान करने के लिए जा रहा था। आरोपी बाहर आया और मृतक कही बांह पकड़ कर उसे खींच लिया, और गंदी गंदी गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की। उसने अपने कुल्ले से वेट्टू अरूवल (एम.ओ.आई) निकाला और मृतक के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर घाव कर दिए। मृतक गिर गया, लेकिन आरोपी पूरे शरीर पर चोटें पहुंचाता

रहा। पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2, अन्य गवाहों ने शोर मचा दिया। लोग भी वहां जमा हो गए। आरोपी घटनास्थल से भाग गया।

इस घटना को देखने पर पीडब्ल्यू-2 तुरंत मृतक के घर गया और मृतक के भाई पीडब्ल्यू-3 को सूचित किया। पीडब्ल्यू-3 घटनास्थल पर आया और पाया कि उसका भाई अपनी जान बचाने के लिए हांप रहा था।

इसके बाद पीडब्ल्यू-3 ने घायलों को बी भवानी सागर अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। फिर अस्पताल से संदेश प्राप्त होने पर पीडब्ल्यू-7 पुलिस उपनिरीक्षक अस्पताल आए, पीडब्ल्यू-1 के बयान (उदाहरण पी 21) दर्ज किया। मामला आईपीसी की धारा 341 और 307 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था, चूंकि घायल की हालता गंभीर थी, इसिलए उसे पीडब्ल्यू-3 द्वारा कोयंबटूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। रास्ते में ही घायल ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना उदाहरण पी 26 प्राप्त होने पर पुलिस निरीक्षक पीडब्ल्यू-18 ने जांच शुरू की और मामले को आईपीसी की धारा 341 और 302 के तहत एक में बदल दिया गया।

4. उस जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया, चूंकि अभियुक्त ने स्वयं को निदोष बताया, इसलिए मुकदमा चलाया गया। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने रिकाॅर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार किया और पीडब्ल्यू-2 के सबूतों पर भरोसा करते हुए दोष ठहराया और सजा सुनाई गई, जैसा कि

उपर बताया गया है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि पीडब्ल्यू-1 जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में एफआईआर) का लेखक था, जांच के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान से मुकर गया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि हालांकि कुछ हद तक पीडब्ल्यू-1 जांच के दौरान अपने बयान से हट गया था, स्वीकार किया कि मृतक और पीडब्ल्यू-2 सहित तीन व्यक्ति स्नान करने गए थे, लेकिन उस समय आरोपी भी नंगे हो गए। हाईकोर्ट के समक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनाए गए रुख को दोहराया गया। लेकिन उच्च न्यायालय को कोई तथ्य नहीं मिला और अपील खारिज कर दी गई।

5. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अपराध का मक्सद स्थापित नहीं किया गया है, क्योंकि लड़की के साक्ष्य से यह पता नहीं चलता है कि उसे मृतक द्वारा परेशान किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त यहां प्रस्तुत किया गया है कि पीडब्ल्यू-1 ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया और एक गवाह यानी पीडब्ल्यू-2 की गवाही पर दोषसिद्धि होनी चाहिए।

6. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

7. जैसा कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने ठीक ही कहा है भले ही पीडब्ल्यू-1 ने पूरी तरह से अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, फिर भी उसके साक्ष्य से पीडब्ल्यू-2 के साक्ष्य की पुष्टि की कि मृतक, पीडब्ल्यू-2 और एक अन्य स्नान करने गए थे और उसी समय आरोपी वहां आया था।

पीडब्ल्यू-2 के सबूतों को हिलाया नहीं गया है, हालांकि उससे काफी देर तक जिरह की गई। अपीलकर्ता के विद्वान वकील के महत्वपूर्ण तर्क का उल्लेख करना आवश्यक है कि पीडब्ल्यू-2 वर्तमान मामले में एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है और कोई भी सजा ऐसे प्रत्यक्षदर्शी की गवाही पर आधारित नहीं होनी चाहिए, जिसे पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं बताया जा सकता।

8. वडिवेलू थेवर बनाम मद्रास राज्य (एआईआर 1957 एससी 614) में यह न्यायालय इस विवाद में आ गया था कि गवाहों की प्रकृति को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था, अर्थात पूर्ण विश्वसनीय। पूरी तरह से अविश्वसनीय और अंत में न तो पूरी तरह विश्वसनीय और न ही पूरी तरह अविश्वसनीय। पहली दो श्रेणियों के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि उनमें थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन तीसरी श्रेणी के गवाहों के मामले में पुष्टि की आवश्यकता होगी। प्रासंगिक भाग इस उद्धृत किया गया है। (एआईआर पृष्ठ 619 पैरा 11-12)

"इसलिए, हमारी राय, यह कानून का एक मजबूत और अच्छी तरह स्थापित नियम है कि अदालत किसी तथ्य को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए आवश्यक सबूतों की मात्रा के बजाय गुणवत्ता से चिंतित हो। आमतौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात "

1. पूर्णतः विश्वसनीय

2. पूर्णतः अविश्वसनीय

3. न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय

सबूत की श्रेणी में अदालत के पास नहीं होना चाहिए।

किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने पर कठिनाई हो। किसी एक गवाह की गवाही पर उसे दोषी ठहराया जा सकता है या बरी किया जा सकता है, यदि वह रुचि, अक्षमता या अधीनता के प्रति ग्लानि या संदेह से उपर से पाया जाता है। दूसरी श्रेणी में भी न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कठिनाई नहीं होती। यह तीसरी श्रेणी के मामले है, अदालत को सतर्क रहना होगा। और प्रत्येक या परिस्थितिजन्य विश्वसनीय गवाही के भौतिक विवरणों की पुष्टि की तलाश करनी होगी। गवाहों की बाहुलता पर जोर देने का एक ओर खतरा है, किसी एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के बावजूद, यदि अदालतें किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए गवाहों की बाहुलता पर जोरी देती है, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों की अधीनता को प्रोत्साहित करेंगे।

9. वडिवेलू थेवर केस (सुप्रा) को जगदीश प्रसाद बनाम एमपी राज्य के मामले में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था। (एआईआर 1994 एससी 1251) इस न्यायालय ने माना कि एक सामान्य नियम के रूप में अदालत किसी एक गवाह की गवाही पर कार्यवाही कर सकती है, बशर्ते वह

पूरी तरह विश्वसनीय हो। किसी एक गवाह की गवाही पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (संक्षेप में साक्ष्य अधिनियम) की धारा 134 का तर्क है। लेकिन अगर गवाही पर संदेह हो तो अदालतें पुष्टि पर जोर देगी। गवाहों की गवाही पर कार्यवाही करना अदालत का काम है। यह संख्या नहीं, मात्रा है। लेकिन जो गुणवत्ता है वह भौतिक है। समय सम्मानित सिद्धांत यह है कि सबूतों को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए। इस सिद्धांत पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 की इमारत खड़ी है। यह है कि क्या सबूत में सच्चाई है वह ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या अन्यथा।

10. उपरोक्त स्थिति को सुनील कुमार बनाम राज्य सरकार, दिल्ली एनसीटी (2003) 11 एससीसी 367 के मामले में उजागर किया गया था।

11. तथ्यात्मक परिदृश्य के विश्लेषण और उपर बताए गए कानून के सिद्धांत को लागू करने पर, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपील निराधार है और खारिज करने योग्य है, जिसका हम निर्देश देते हैं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीषा कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।